



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0 -61/2015-1405 दिनांक : 27/11/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

उप वन संरक्षक, योजना,  
गैर-जनजातीय क्षेत्र, राँची ।

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु 60.668 (साठ लाख छियासठ हजार आठ सौ) रू0 मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-48/2016-39/स्वी0 व0प0 दिनांक 27.09.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0 बजट-48/2016-85/आ0 व0प0 दिनांक 29.10.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष- 55 मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के वित्तीय वर्ष 2016-17 में किये गये अग्रिम-सह-समापन कार्य का चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए रू0 60.668 (साठ लाख छियासठ हजार आठ सौ) रूपये मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड संख्या	उप-आवंटित राशि (राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102550103	21.516
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102550323	39.152
कुल :-		60.668

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप-वन संरक्षक, योजना, गैर-जनजातीय क्षेत्र, राँची होंगे।
3. ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-1 पर एवं कार्य दर अनुलग्नक-2(क) एवं (ख) पर संलग्न है।
4. वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
5. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सिमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204, दिनांक-20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा-निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0 -61/2015-1405 दिनांक- 27/11/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/ इनविस सेंटर, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

## वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना"(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 160 पौधे (फलदार/ कलमी पौधे)

स्पेसिंग 5 मी. X 5 मी.

प्रजातियाँ:- कलमी आम, कटहल, अमरुद, आंवला, बेल, लीची आदि

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लाभुकों की प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अन्यविवरण
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 237.38/-							
1	दो कोड़नी-निकौनी	एकड़	4.00	949.52	0.00	949.52	4.45	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	3.75	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
5	घेरान मरम्मति @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.0	712.14	0.00	712.14	3.34	
	<b>योग</b>		<b>7.0</b>	<b>1661.66</b>	<b>2400.00</b>	<b>4061.66</b>	<b>19.04</b>	

प्रधान/मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची

## वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ :  
स्पेसिंग ३ मी. x ३ मी. एवं मेड के  
किनारे २ मी० x २ मी०

४४५ पौधे (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)  
प्रजातियाँ—शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया  
आदि

क्रम	कार्य का विवरण	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लानुको को प्रति पौधा चेन प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क.	संशोधन कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 237.38/-							
1	एक कोड़नी-निकौनी	एकड़	6.00	1424.28	0.00	1424.28	2.40	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.59	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लानुको द्वारा की जायेगी।
5	घेरान मरम्मत @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.00	712.14	0.00	712.14	1.20	
	<b>योग</b>		<b>9.00</b>	<b>2136.42</b>	<b>4800.45</b>	<b>6936.87</b>	<b>11.69</b>	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची





## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

चाहू विधीय वर्ष 2018-19 में ध्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-61/2015/1405

दिनांक - 27-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि	
1	S 19 240601102550103 2406 - बानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - बानिकी 102 - समाज तथा फार्म बानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	71226	DRNFWL207  RAJ KAPOOR SINHA  DY.CF.PLANNING (NON-TRI.AREA)R	रुपये इक्कीस लाख इकावन हजार छः सौ 	2,151,600.00
2	S 19 240601102550323 2406 - बानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - बानिकी 102 - समाज तथा फार्म बानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	71227	DRNFWL207  RAJ KAPOOR SINHA  DY.CF.PLANNING (NON-TRI.AREA)R	रुपये उनचालीस लाख पंद्रह हजार दो सौ 	3,915,200.00

योग:

6,066,800.00

क्रमिक योग:

रुपये साहट लाख छछठ हजार आठ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DIBADHANG (M&F) RANCHI